न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 116/2023 दायर दिनाँक 21.06.2023

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालाराम पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी दूदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान जरिये आम मुख्त्यार कालूराम रेगर पुत्र परसाराम जाति रेगर निवासी दूदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. कालूराम पुत्र शंकर 2. पूर्णाराम पुत्र शंकर 3. भंवरी देवी पुत्री शंकर 4. बाजु देवी पुत्री शंकर 5. गंगा देवी पत्नी शंकर 6. हेमाराम पुत्र तिलोकाराम 7. बनवारी पुत्र तिलोकाराम (प्रतिवादी संख्या 6 व 7 नाबालिग जरिये संरक्षक दादी गंगा देवी) समस्त जाति मेघवाल निवासी दूदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान। 8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88,188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 30.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, मौजा दूदोली तहसील डीडवाना के वादी की स्वामित्व सुदा खरीद सुदा पूराने खसरा संख्या 496 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवस्थित है, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 945 रकबा 3.6700 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में से सह—खातेदार शंकर ने अपने संभावित हक हिस्से की भूमि 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.08.1999 को बेचाण कर दी। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.08.1999 पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 156, पृष्ठ संख्या 855 क्रम संख्या 855/99 पर पंजीबद्ध है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 5 के पति व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के दादा शंकर ने उक्त विक्रित भूमि बाबत प्रतिफल राशि प्राप्त कर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया व पंजीयन कार्यालय डीडवाना में उपस्थित होकर उक्त भूमि का बेचाण तस्दीक करवा दिया, उसके पश्चात वादी द्वारा उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु हल्का पटवारी को बेचाण की प्रति दी। उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात से आज तक उक्त भूमि पर बिना किसी रोक टोक के लगातार वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में वादी द्वारा मुआवजे के लिए नकल खतौनी लेने पर ज्ञात हुआ कि पटवारी हल्का द्वारा तत्समय वादी का नाम पंजीयन के आधार पर दर्ज नही किया व अब विक्रेता शंकर तथा उसके एक पुत्र तिलोकाराम व तिलोकाराम की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वादी को अपनी खरीद सुदा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तथा प्रतिवादीगण वादी के नाम खातेदारी नहीं होने के फायदा उठाकर

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

उसकी खरीद सुदा भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करे तथा वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, इसलिए दावा बावत् घोषणा खातेदारी तथा स्थायी निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

वर्तमान खेत खसरा संख्या 945 रकबा 3.6700 हैक्टेयर (पुराने खसरा संख्या 496) वकै शरहद दूदोली तहसील डीडवाना में से वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.08.1999 को खातेदार शंकर पुत्र उमा से उसके संभावित हक हिस्से की खरीद सुदा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी पृथक से वादी के नाम घोषित की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाये तथा यह अमर स्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावें कि अन्य सह–खातेदार वादी की खरीद सुदा हक अधिकार की भूमि में कोई दखल अन्दाजी, बैचाण, हस्तान्तरण व हस्तक्षेप न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि सह–खातेदार शंकर ने अपने संभावित हक हिस्से की भूमि 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.08.1999 को बैचाण कर दी गई। उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात् से आज तक उक्त भूमि पर बिना किसी रोक टोक के लगातार वादी(क्रेता) का ही कब्जा कांश्त चला आ रहा है। वादी(क्रेता) द्वारा उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु हल्का पटवारी को बैचाण की प्रति दी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण नहीं भरा गया। अब विक्रेता शंकर तथा उसके एक पुत्र तिलोकाराम व तिलोकाराम की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अतः वादी(क्रेता) का अपनी खरीद सुदा भूमि की खातेदारी में दर्ज करवाना फरमावें।

–:आदेश :–

मौजा दूदोली पटवार हल्का पालोट तहसील डीडवाना के पुराने खसरा संख्या 496 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा (नवीन खसरा संख्या 945 रकबा 3.6700 है.) की भूमि में से 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र अनुसार केता मालाराम पुत्र परसाराम कौम रेगर साकिन दूदोली तहसील डीडवाना को खातेदार घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner